भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
विकास आयुक्त का कार्यालय /OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER
सीप्ज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096
टेलि/Tele:28294770, फैक्स/Fax:28291385
ई-मेल/E-mail:dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट/Website:www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सं.सीप्ज़-सेज़/सिक्यूरिटी/2020-21/एसओपी/कोविड-19/ दिनांकः 01.6.2020

सूचना

विषयः- कोविड-19 पोज़िटिव कर्मचारियों के संबंध में सूचना ।

कोविड-19 महामारी के निवारण के संबंध में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों (गाइडलाइन्स) के अनुसार सीप्ज़-सेज़ के अधीन सभी यूनिटों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उनके किसी कर्मचारी के कार्यालय में अथवा घर पर संक्रमित पाए जाने अथवा उसके संक्रमित होने का संदेह हो, तो इसकी तत्काल सूचना सीप्ज़ प्राधिकरण को अवश्य दी जाए ।

यह भी ध्यान में रखा जाए कि फ्यू, खांसी, बुखार के लक्षण वाले किसी कर्मचारी को सीप्ज़ परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । कुछेक मामलों में ऐसी घटनाओं की विलंब से सूचना दी गई जो सरकारी दिशा-निर्देशों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप नहीं थी । यदि आपका कोई कर्मचारी संक्रमित पाया जाता है अथवा उसके संक्रमित होने का संदेह होता है, तो आप इसकी सूचना इस कार्यालय को देते हुए जिला स्वास्थ्य प्राधिकारी तथा एमसीजीएम को अवश्य दें क्योंकि ऐसा किया जाना वर्तमान परिस्थिति के तहत कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए अनिवार्य है ।

आगे यह भी सूचित किया जाता है कि कोविड-19 के लक्षण वाले ऐसे कामगारों/ कर्मचारियों का विवरण जो इसके कारण कार्य छोड़कर जा रहे हों, सीप्ज़ के सुरक्षा अधिकारी को भी दिया जाए । संक्रमित पाए जाने वाले कामगारों/कर्मचारियों के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों (गाइडलाइन्स) के अनुसार आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

यह संयुक्त विकास आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

हस्ता/-
(महेश जाधव)
सहायक विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़